न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट गोण्डा ।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–197/2025

पुण्डरीक पाण्डेय आदि **बनाम** उ0प्र0 सरकार आदि

दिनांक–19.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र 7ख पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र 7ख अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण

प्रार्थीगण द्वारा 7ख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि मुकदमा उपरोक्त विवेचनोपरान्त प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोप पत्र समक्ष न्यायालय दाखिल किया जा चुका है, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। इसलिए प्रार्थीगण विचारण न्यायालय के प्रसंज्ञान आदेश के विरूद्ध दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत करना चाहता है, किन्तु प्रार्थीगण को देर से सूचना प्रदान किए जाने के कारण पुनरीक्षण प्रस्तुत करने में लगभग 28 दिनों की देरी हो गई है। इसलिए प्रार्थीगण को निम्न कारणों से मियाद की छूट दिया जाना नितान्त आवश्यक हैं–

मुकदमा उपरोक्त को वादी मुकदमा द्वारा कूटरचित तथ्यों के आधार पर दर्ज कराया गया था इसलिए प्रार्थीगण को आरोप पत्र की जानकारी नहीं हो पाई है। मुकदमा उपरोक्त के विवेचक द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा दिनांक–23.12.2024 को प्रसंज्ञान ले लिया गया, किन्तु प्रार्थीगण को उक्त प्रसंज्ञान आदेश की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। दिनांक–31.03.2025 को जरिए सम्मन प्रार्थीगण को उक्त मुकदमें के बावत सूचना प्राप्त हुई, किन्तु प्रार्थीगण कृषि कार्य में व्यस्त होने तथा प्रार्थी सं0–1 नौकरी पेशे से लेखपाल है को अवकाश प्राप्त न होने के कारण न्यायालय नहीं आ सका। दिनांक–10.04.2025 को प्रार्थीगण ने न्यायालय आकर जरिए अधिवक्ता उक्त पत्रावली का मुआयना कराया तो पता चला कि दिनांक–23.12.2024 को ही उक्त पत्रावली में प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। तब प्रार्थीगण ने दिनांक–17.04.2025 को नकल सवाल दर्ज करवा कर दिनांक–18.04.2025 को प्रसंज्ञान आदेश दिनांकित 23.12.2025 प्राप्त किया तथा दिनांक–21.04.2025 को प्रार्थीगण दाण्डिक पुनरीक्षण समक्ष न्यायालय प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है, अपितु उक्त विलम्ब न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को देर से सूचना प्राप्त होने के कारण तथा कृषि कार्य में व्यस्तता व नौकरी से अवकाश न प्राप्त होने के कारण हुआ है, जो क्षम्य होने योग्य है। उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी को मियाद की छूट देते हुए निगरानी को गुण–दोष पर निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.06.19 17:29:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदकगण/प्रार्थीगण द्वारा दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने में करीब 28 दिन का विलम्ब कारित किया है तथा विलम्ब के सम्बन्ध में यह कथन किया है कि प्रार्थीगण को देर से सूचना प्राप्त होने के तथा कृषि कार्य में व्यस्तता व नौकरी से अवकाश न प्राप्त होने के कारण हुआ है। इसी बिन्दु पर **पूनम व अन्य प्रति हरीश कुमार व अन्य 2011 (4) एस.सी.सी.डी. पेज–2125 सुप्रीम कोर्ट एवं सैनिक सिक्योरिटी बनाम शील बाई 2008(71) ए.एल.आर. 302 (एस.सी)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा–5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब को क्षमा के प्रश्न पर अवधारण करते समय न्यायालय को कठोर एवं तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। अपितु व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए एवं तकनीकी न्याय कर वास्तविक न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अतः उपरोक्त मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा ऊपरवर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में आवेदकगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 7ख अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7ख अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम मु0 1,000/–(एक हजार) रू0 हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली अंगीकरण हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश के कार्यालय को प्रेषित की जाये। पक्षकार दिनांक 01.07.2026 को माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित हो।

(आलोक शर्मा)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट,
गोण्डा।

दिनांक–19.06.2026